दीनदयाल उपाध्याय
गोरखपुर विश्वविद्यालय
गोरखपुर–273009

(Accredited A++ by NAAC)

Deen Dayal Upadhyaya
Gorakhpur University,
Gorakhpur-273009

पत्रांक : सम्बद्धता/2024/04/ 4986

दिनांक : 16/04/2024.

अति महत्वपूर्ण/समयवद्ध

सेवा में,

प्राचार्य / प्रबन्धक
समस्त, संबंधित महाविद्यालय
सम्बद्ध– दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।

विषय– शैक्षिक सत्र 2024–25 हेतु सम्बद्धता की निरन्तरता हेतु आख्या एवं अभिलेख प्रस्तुत करने के संबंध में।

महोदय / महोदया,

कृपया, उपर्युक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के पत्रांक सम्बद्धता / 2024 / 02 / 4747 दिनांक 05.02.2024 द्वारा सत्र 2024–25 हेतु वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.01.2024 एवं मा0 कार्य परिषद की बैठक दिनांक 01.02. 2024 के क्रम में प्रत्येक पाठ्यक्रम के सम्बद्धता विस्तरण हेतु निर्धारित शुल्क रु0 10000 / – एवं 18 प्रतिशत जीएसटी के साथ विश्वविद्यालय के लेखा अनुभाग में जमा करने हेतु विश्वविद्यालय के पत्रांक सम्बद्धता / 2024 / 02 / 4747 दिनांक 05.02.2024 एवं पत्रांक सम्बद्धता / 2024 / 03 / 4906 दिनांक 14.03.2024 द्वारा क्रमशः 05.03.2024 एवं 31.03.2024 तक पत्रजात के साथ सम्बद्धता विस्तरण का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। परन्तु कतिपय महाविद्यालयों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

पत्रजात / अभिलेख प्रस्तुत किये जाने की सूची–

क्रमांक	विवरण	अभिलेख की स्थिति
1	महाविद्यालय को संचालित करने वाली समिति / ट्रस्ट का नवीनीकरण प्रमाण पत्र	
2	महाविद्यालय प्रबन्ध–समिति का अनुमोदन पत्र	
3	खतौनी	
4	नजरी नक्शा	
5	ग्रामीण अथवा नगरीय क्षेत्र में स्थित होने का प्रमाण पत्र	
6	शिक्षक अनुमोदन पत्र	
7	अनुमोदित शिक्षकों का संविदा पत्र	
8	प्राचार्य / शिक्षकों को किये जा रहे वेतन भुगतान का बैंक स्टेटमेन्ट / पासबुक की छायाप्रति	
9	सी0ए0 रिपोर्ट	
10	महाविद्यालय / समिति के खाते का अद्यतन बैंक स्टेटमेन्ट	
11	एन0बी0सी0 प्रमाण पत्र	
12	अद्यतन अग्निशमन प्रमाण पत्र	
13	प्रस्तुत पत्रजात के सत्यता के संबंध में रुपये 10 / – के स्टाम्प पर शपथपत्र	

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि **शैक्षिक सत्र 2024–25 हेतु सम्बद्धता की निरन्तरता** बनाये रखने के प्रकरण पर नियमानुसार विचार करने हेतु, सम्बद्धता समिति की संस्तुति के अनुसार **सम्बद्धता–विस्तरण** प्रदान करने हेतु शासनादेश में दिये गये मानक के अनुसार उपरोक्त बिन्दुवार अभिलेख / पत्रजात (आख्या सहित) प्रस्तुत करने के लिए **दिनांक 30 अप्रैल 2024 तक** विस्तारित किया जाता है। **यदि निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय द्वारा अभिलेख / पत्रजात (आख्या सहित) प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो आपके महाविद्यालय में संचालित विषयों / पाठ्यक्रमों के सम्बद्धता विस्तरण नहीं प्रदान करने के संबंध में नियमानुसार उचित निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा ले लिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।**

भवदीय,
S Rastogi
(प्रो0 शान्तनु रस्तोगी)
कुलसचिव

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समन्वयक, आई0टी0सी0 सेल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं समस्त महाविद्यालयों की लॉगइन में प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
2. वित्त अधिकारी को इस आशय से सूचित कि संबंधित महाविद्यालयों से प्रत्येक पाठ्यक्रम का शुल्क रु0 10000 / – एवं नियमानुसार जीएसटी के साथ जमा कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. प्रभारी सचिव कुलपति कार्यालय, मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
4. वैय0 सहायक कुलसचिव।

कुलसचिव